52

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP44469985833844X

e-Stamp

8381/2025

Certificate No.	:	IN-UP44469985833844X
Certificate Issued Date	:	18-Jul-2025 12:42 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14114404/ SAHARANPUR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1411440483157928684558X
Purchased by	:	SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SAHARANPUR THR SHOAIB
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	AGRICULTURE LAND KH NO.1 AT VILLAGE MOHD.PUR BAHLOLPUR PARGANA TEHSIL AND DISTT SAHARANPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MUNNI DEVI WO JAI SINGH
Second Party	:	SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SAHARANPUR THR SHOAIB
Stamp Duty Paid By	:	SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SAHARANPUR THR SHOAIB
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,82,590 (Two Lakh Eighty Two Thousand Five Hundred And Ninety only)

सत्यमेव जयते

SANDEEP KANSAL SAHARANPUR Acc Code UP-14114404

18/7/2025

Please write or type below this line

मुन्नी

Shoaib Khan

IPF 0007731412

विक्रय पत्र

कार्यालय का नाम :- उपनिबंधक:-सदर सहारनपुर

मूल क्षेत्राधिकार:-उपनिबंधक कार्यालय सदर द्वितीय सहारनपुर

फोटो मिलानकर्ता :-

विपिन कुमार धीमान
एडवोकेट
रजि० नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943

विपिन कुमार धीमान
एडवोकेट
रजि० नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943

1-प्रतिफल की धनराशि :-मुबलिंग 40,36,800/- रुपये

(प्रतिफल की धनराशी में अंकन 1,000/-पूर्णांक करके अंकन 40,37,000/-रूपये पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है)

2- कानूनी मालियत :-मुबलिंग 10,09,200/- रूपये

3- स्टाम्प शुल्क :- मुबलिंग 2,82,590/-रूपये

(ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट संलग्न है)

4-संपत्ति का प्रकार:- कृषि भूमि

5- विक्रीत संपत्ति आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है।

6-संपत्ति का क्षेत्रफल:- 0.0870हे०

7-संपत्ति का विवरण :- खसरा संख्या:- 1

फसली वर्ष:-1428-1433तक खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00159

8-मापन की इकाई :-हेक्टेयर

9-कृषि भूमि विक्रीत वाके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर है(पृष्ठ संख्या 59 क्रमांक 452 क्षेत्र:-अर्धनगरीय) जहाँ का सरकारी निर्धारित रेट 1,16,00,000/-रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत आराजी की कानूनी मालियत अंकन 10,09,200/- रूपये होती है

10- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति के सम्बन्ध में कोई अनुबंध विलेख पंजीकृत नही है |

11- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति की 200 मीटर की त्रिज्या में आबादी/अकृषक गतिविधिया मौजूद नही है |

12- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति में परिसंपत्तिया नही है |

13- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति सामान्य भूमि है |

14- यह की निम्नलिखित संपत्ति का अंतरण सहारनपुर विकास प्राधिकरण ,सहारनपुर के हक़ में हो रहा है इस कारण 07 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

15- यह की विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिसने निम्न वर्णित भूमि विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मंडल सहारनपुर जनपद सहारनपुर तहसील सहारनपुर के द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि विक्रय किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा- 98(1) अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 अनुमति प्राप्त की गयी है, जिसकी छायाप्रतिया दस्तावेज हाजा के साथ संलग्न है |

वाद संख्या	कम्पयूट्रीकृत वाद संख्या	पक्षकार	आदेश दिनांक
3356/2025	D202509600003356	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री जय सिंह बनाम सरकार	15-07-2025

16- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति , राजस्व अभिलेख / उद्धरण खतौनी के अनुसार श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर अधिकार की भूमि के अन्तर्गत है तथा उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है |

मुन्नी

Shoaib Alam

Scanned with OKEN Scanner

17- सम्बन्धित भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकारण द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारिकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एंव समुचित विकास किये जाने हेतु क्रय की जा रही है। काश्तकारो से विक्रीत सम्पत्ति सर्किल रेट दर के चार गुणा कीमत पर सहमति के आधार पर क्रय की जा रही है। यह कि यदि किसी त्रुटिवश माप के लिखित पढत व किसी अन्य की हिस्सेदारी या माननीय न्यायालय में किसी अन्य हिस्सेदार के पक्ष में आदेश प्राप्त होते है तो विक्रेता इस रकम को(जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण से मुआवजे / प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर रहा है)सहारनपुर विकास प्राधिकरण को वापस करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नही लौटाता है तो धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर सहित भू-राजस्व के बकाये की भाँति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को वसूलने का अधिकार होगा

विक्रेता का विवरण संख्या (01)

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री जय सिंह निवासी ग्राम लंढौरा गुर्जर परगना तहसील व जिला सहारनपुर आधार संख्या XXXX XXXX 7774

पेन संख्या :-EFFPM5582F

क्रेता का विवरण संख्या (01)

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर-247001

(पेन नम्बर AAALS0359L) द्वारा अधिकृत पदाधिकारी /प्रतिनिधि श्री शोएब आलम पुत्र श्री गय्यूर शाह , निवासी मकान संख्या 740 सिकरोढा हरिद्वार उत्तराखंड 247661, आधार संख्या XXXX XXXX 2385 मौ०:-8865077710

(उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पत्रांक संख्या 856 / अर्जन अनु० / स०वि०प्रा० / 2025-26 दिनांक 11/07/2025 के द्वारा अधिकृत)

मुन्नी

Shoaib Alam

Scanned with OKEN Scanner

संपत्ति प्राप्ति का स्त्रोत:- जो कि निम्नलिखित भूमि के विक्रेता मालिक व काबिज है और विक्रेता का नाम कागज़ात सरकारी खसरा खतौनी में बतौर मालिक नाम दर्ज चला आ रहा है जो विक्रेता को विरासत में प्राप्त है | जिसके सम्बन्ध में विक्रेता को पूर्ण अधिकार मालकाना व इस्तेमाल तथा हस्तांतरण आदि के प्राप्त है और जो आज तक हर प्रकार के करजे व अनुबंध व हस्तान्तरण आदि से पाक व साफ है और जिसकी बावत किसी न्यायालय या अन्य किसी भी जगह कोई वाद विवाद विचारधीन नहीं है लिहाजा विक्रेता ने बखुशी बिना किसी दबाव व जबर के बदरस्ती होशो हवास अपनी के निम्नलिखित भूमि को बमुकाबले अकन 40,36,800/- रुपये जिसके आधे 20,18,400/- रूपये होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त के बैय कतई और फरोख्त कामिल कर दी है और कब्जा दखल व कब्ज़ा मालकाना व वाकई अपना विक्रेता ने निम्नलिखित भूमि विक्रीत से उठाकर कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई उस पर क्रेता उक्त का पूरी तौर पर करा दिया है और क्रेता को अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह निम्नलिखित भूमि विक्रीत पर काबिज रहकर उसमे अपनी पसंद की काश्त करे उसको रहन या बैय करे या उसको जो चाहे सौ करे और कागजात सरकारी में अपना नाम बतौर मालिक के दर्ज करा ले उजर ना होगा विक्रेता का या उसके किसी वारिस व कायम मुकामान का विक्रीत भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार बाकी नहीं रहा है और ना आइन्दा को होगा यदि आज से पहले की कोई सरकारी या गैर सरकारी देनदारी निम्रिलिखित भूमि विक्रीत के सम्बन्ध में वाजिब हुई तो उसको विक्रेता अदा व बेबाक करने का पावन्द व जिम्मेदार रहेंगे | अगर आइन्दा बवजह दावेदारी किसी शख्स सहीम या हकदार किफालतदार के आराजी मुबईया कब्जा दखल व कब्ज़ा मालकाना व वाकई क्रेता जायदाद उक्त से निकल जावे या कब्जा दखल में फर्क आवे तो क्रेता जायदाद को अधिकार प्राप्त होगा की अपना कुल विक्रय धन उपरोक्त मय हरजे खर्चे के भूमि मुबइया व दीगर जायदाद माल व जात खास विक्रेता से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे उजर ना होगा |

मुन्नी

Shoaib Alam

Scanned with OKEN Scanner

<u>तफसील जायदाद मुबइया</u>

संक्रमणीय हकूक भूमिधरी भूमि रकबई 0.0870हे0 खसरा संख्या 1 रकबई 0.0870हे0 यानि विक्रेता का कुल हक़ व हिस्सा यानि विक्रेतागण का कुल सर्व भाग मुतालिक खाता संख्या 00159 फसली वर्ष 1428-1433तक वाके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर मय जुमला हक हकूक हर किस्म मुतालिका उसके बिला इसतसनाये किसी जुजव या हक के जिसका नक्शा सलग्न है जो दस्तावजे हाजा का भाग है।

<u>नोट:-</u>उपरोक्त विक्रीत भूमि खसरा संख्या 1 के अंतर्गत विक्रेता का कोई अंश अथवा भाग शेष नही रहा है |

<u>सीमाये</u>

पूरब में:- - खेत खसरा संख्या 03 (क्रेता)

पश्चिम में:- - सीमा ग्राम चुनैटी गाडा

उत्तर में :- - सीमा ग्राम सैदपुरा

दक्षिण में :- खेत खसरा संख्या 02 (क्रेता)

Scanned with OKEN Scanner

तफसील वसूल जरे समन

कुल जरे समन अंकन 40,36,800/- रूपये विक्रेता द्वारा बैंक प्रणाली /बैंक हस्तांतरण द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जो विक्रेतागण को प्राप्त होना स्वीकार है और कोई शेष जरे समन बाकी नहीं रहा है | जिसका विवरण विक्रय पत्र के साथ संलग्न है |

लिहाजा यह दस्तावेज लिख दी की सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे |

ह०---------

ह०---------

साक्षी:-1श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री ब्रहम सिंह
निवासी हरिपुर सहारनपुर
ह०----------------

साक्षी :-2-श्रीपाल पुत्र श्री चमन सिंह
निवासी 307 ,विजय कॉलोनी सहारनपुर
ह०----------------

लेखतिथि :- 18 जौलाई सन 2025 ई०

रचियता:- विपिन कुमार धीमान
एडवोकेट
रजि० नं०–5076/04
150–सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०–9758311943

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक [illegible] /स०वि०प्रा०/लेखा०/2025-26 दिनांक [illegible] / 2025

सेवा में

शाखा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
मुख्य शाखा, कोर्ट रोड,
सहारनपुर।

कृपया संलग्न चैक संख्या-278364, दिनांक 16.07.2025, एसबीआई-44027766433, रु0 40,36,800.00 (रुपये चालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र), जो आपको मूल रूप में एवं कृषकों के खाते की पासबुक की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि निम्न तालिकानुसार अपने स्तर से संलग्न पासबुक से सम्बन्धित आवंटन/कृषक के खाता संख्या, IFSC विवरण आदि का मिलान अनिवार्य रूप से करते हुए सुसंगत खाते में ही धनराशि जमा करने का कष्ट करें :-

क्र० सं०	सम्बन्धित पक्ष का नाम	धनराशि रुपये में	खाता संख्या	बैंक का नाम	I.F.S.C Code
1	Munni W/o Jai Singh	40,36,800.00	6880000300001136	PUNJAB NATIONAL BANK	PUNB0688000

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

Shoaib Alam

वित्त एवं लेखाधिकारी,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

भारतीय स्टेट बैंक/SBI
[illegible] BRANCH SRE (00710)
18 JUL 2025
[illegible] SHARMA PF 6364533
Maker .... Checker

मुन्नी

SBINR52025071892510326.

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति का फोटो

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :सहारनपुर
वाद संख्या :-3356/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202509600003356
श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयसिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयसिंह निवासी लण्ढौरा गुज्जर हाल निवासी प्रेम नगर सहारनपुर द्वारा धारा–98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 159 खसरा नम्बर 01 रकबा 0.0870 है0 भूमि स्थित ग्राम मो0पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 04–07–2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना–पत्र के अनुसार आवेदिका/वादिया उक्त भूमि को मा0 मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोतसाहन योजना हेतु अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 04–07–2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 04–07–2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 04–07–2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया खाता संख्या 159 खसरा नम्बर 01 रकबा 0.0870 है0 भूमि स्थित ग्राम मो0पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित अख्या दिनांक 04–07–2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थिया के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदिका/वादिया द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदिका/वादिया अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करती है। प्रार्थिया की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदिका/वादिया को खाता संख्या 159 खसरा नम्बर 01 रकबा 0.0870 है0 भूमि स्थित ग्राम मो0पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेखपत्र के निस्पादन से पूर्व ऋण अदायगी के प्रतिबन्ध के साथ प्रदत्त की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित

मुन्नी

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :सहारनपुर
वाद संख्या :-3356/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202509600003356
श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयसिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तार प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 15.07.2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

मुन्नी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम चुनहेटी गाडा, सैदपुरा एवं मौहम्मपुर बहलोलपुर में सहमति के आधार पर खातेदारों से प्राधिकरण के लिए किये जाने वाले बैनामों हेतु श्री आशीष सक्सेना, अवर अभियन्ता को नामित किया गया है।

जिलाधिकारी, सहारनरपुर के कार्यालय पत्र संख्या–897/जे0ए0–2(कांवड यात्रा –2025) दिनांक 06.074.2025 के द्वारा श्री आशीष सक्सेना, अवर अभियन्ता की ड्यूटी सैक्टर मजिस्ट्रेट के रूप लगायी गयी है, जिस कारण उनके द्वारा बैनामों की कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त के कम में श्री आशीष सक्सेना, अवर अभियन्ता के कावंड ड्यूटी से वापस आने तक उनके स्थान पर श्री शोएब आलम, अवर अभियन्ता को बैनामों की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु नामित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

11/7/25

(संतोष कुमार राय)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष

संख्या : 856 /अर्जन अनु0/स0वि0प्रा0/2025–26 दिनांक : 11.07.2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2– अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व), सहारनपुर।
3– उपमहानिरीक्षक, निबन्धन, सहारनपुर।
4– सब–रजिस्ट्रार(द्वितीय), सहारनपुर।
5– सचिव/विशेष कार्याधिकारी/वित्त एंव लेखाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, स0वि0प्रा0।
6– सहायक अभियन्तागण व समस्त अवर अभियन्ता, स0वि0प्रा0।
7– श्री शोएब आलम, अवर अभियन्ता को अनुपालनार्थ।
8– गार्ड पत्रावली।

Shoaib Alam

(संतोष कुमार राय)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

SITE PLAN OF AGRI. LAND KHASRA No - 1 SITUATED AT GRAM MOHAMMADPUR BAHLOLPUR PARAGNA TEHSIL & DISTT. SAHARANPUR

SELLER :- Smt. MUNNI DEVI W/o SH. JAI SINGH

PURCHASER :- S.D.A. SAHARANPUR

AREA :- SOLD AREA = 0.0870 HECT.

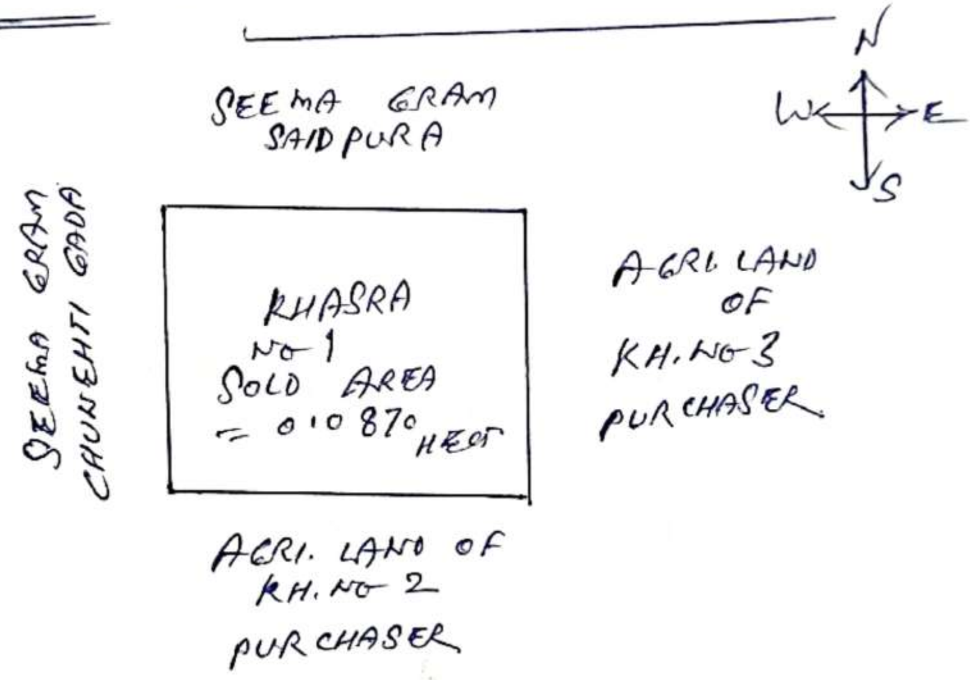

Shoaib Alam

SAINI & ASSOCIATES
N.K. SAINI
...ture Designer
... Planners
...
...847
Resi. ... Kapil ..., Near Shiv Mandir, SRE.

Scanned with OKEN Scanner